30/3/15 पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज दिलाई गई। वादी वकील व वादी अनुपस्थित पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम के क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कठौती (राज०)